

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर/एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/अपील)/

ज्वाइन्ट कमिशनर(वि0अनु0शा0/कार्यपालक/ अपील/उच्च न्यायालय कार्य/सर्वोच्च न्यायालय कार्य)/

डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी,

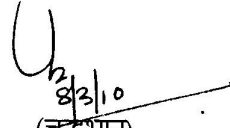
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

Key Word 1-47- Import/ Penalty

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 091060 / वाणिज्य कर दिनांक 05-11-09 व परिपत्र संख्या-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र-09-10/ 091062 / वाणिज्य कर दिनांक 16-11-09 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वैट अधिनियम / वैट नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारियों के मामले में मांगी गयी जमानत की राशि प्रत्येक मामले में माल के मूल्य का 40 प्रतिशत लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

पूर्व में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-स0के0-क-शिकायत-40-1085-इलाहाबाद-04-05 / 3511 दिनांक 24-03-05 से यह निर्देश दिये गये हैं कि जिन वस्तुओं पर तत्समय प्रचलित व्यापार कर अधिनियम के साथ-साथ प्रवेश कर की अलग देयता भी बनती है उन प्रकरणों में तत्समय प्रचलित व्यापार कर अधिनियम के साथ-साथ प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाए। व्यापार कर अधिनियम के स्थान पर वाणिज्य कर अधिनियम लागू हो जाने पर वर्तमान में भी जिन प्रकरणों में वाणिज्य कर एवं प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत अनियमिततायें पाये जाने पर कार्यवाही की जानी है। ऐसे प्रकरणों में यदि वाणिज्य कर अधिनियम के समतुल्य प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भी जमानत की धनराशि की मांग की जाती है तो 80 प्रतिशत की धनराशि जमा करानी पड़ती है जिसका कई व्यापारिक संघों द्वारा विरोध किया गया है।

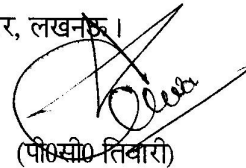
इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि व्यापारियों द्वारा परिवहित किये जा रहे माल की जाँच पर अनियमितता पाये जाने पर यदि परिपत्र संख्या -चे0पो0-25-क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र 09-10 / 0910062/ वाणिज्य कर दिनांक 16/11/09 के अनुसार वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत जमानत लिया जाना आवश्यक है तथा उस वस्तु पर प्रवेश कर की देयता भी है तो दोनों अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों प्रकार के व्यापारियों के लिये जमानत की सम्मिलित धनराशि माल के मूल्य के 40 प्रतिशत के बराबर ही जमा करायी जाएगी।


(चन्द्रानु)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
30प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक अन्तः।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, 30प्र0शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- सदस्य सचिव, 30प्र0 राज्य कर परिषद, अनुभाग मुख्यालय, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 6- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 7- चेक पोस्ट अनुभाग को 15 प्रतियाँ अतिरिक्त।


(पी०सी० तिवारी)

ज्वाइन्ट कमिशनर (चेकपोस्ट)वाणिज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।